रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243363
CG-DL-E-02022023-243363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944
No. 467] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 483(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5,11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है

तालिका

क्रं. सं.	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रोसुवास्टेटिन और	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में:	1 कैप्सूल	मेसर्स सिनोकेम	19.04

क्रं. सं.	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल	रोसुवास्टेटिन कैल्शियम आईपी रोसुवास्टेटिन से 20 मिलीग्राम (पैलेट्स) के बराबर क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट आईपी क्लोपिडोग्रेल से 75 मिलीग्राम (पैलेट्स) के बराबर		फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड	
2	डोमपरिडोन और नेपरोक्सन सोडियम गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: डोमपरिडोन मैलेट आईपी डोमपेरिडोन 10 मिग्रा के बराबर नेपरोक्सन सोडियम यूएसपी 550 मिलीग्राम नेपरोक्सन 500 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	6.99
3	डोमपरिडोन और नेपरोक्सन सोडियम गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: डोमपरिडोन मैलेट आईपी डोमपेरिडोन 10 मिग्रा के बराबर नेपरोक्सन सोडियम यूएसपी 275 मिलीग्राम नेपरोक्सन 250 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	5.39
4	रोसुवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में: रोसुवास्टेटिन कैल्शियम आईपी रोसुवास्टेटिन को 10 मिलीग्राम के बराबर क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट आईपी क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम के बराबर एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड / मेसर्स मोदी-मुंडीफार्मा प्रा. लिमिटेड	14.48
5	कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी3 सस्पेंशन	प्रत्येक 10 मि.ली. में: कैल्शियम फॉस्फेट आईपी एलिमेंटल कैल्शियम 300 मिलीग्राम के बराबर एलिमेंटल फास्फोरस 150 मिलीग्राम के बराबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आईपी एलिमेंटल मैग्नीशियम 75 मिलीग्राम के बराबर जिंक ग्लूकोनेट यूएसपी एलिमेंटल जिंक 4 मिलीग्राम के बराबर विटामिन डी3 आईपी 200आईयू	1 मि.ली.	मैसर्स फार्मा फोर्स लैब। / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	0.68
6	फिनाइलफ्राइन	प्रत्येक 5 मिली में:	1	मैसर्स बायोकॉनिक	0.87

क्रं. सं.	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, पैरासिटामोल, सोडियम साइट्रेट और मेन्थॉल सस्पेंशन	फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 मिलीग्राम क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 0.5 मिलीग्राम पेरासिटामोल आईपी 125 मिलीग्राम सोडियम साइट्रेट आईपी 60 मिलीग्राम मेन्थॉल आईपी 1 मिलीग्राम	मि.ली.	रेमेडीज / मेसर्स डेल्स लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड	
7	मिथाइलकोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, इनोसिटोल, फोलिक एसिड, क्रोमियम पॉलीनिकोटिनेट, सेलेनियम डाइऑक्साइड और बेनफोटामाइन कैप्सूल	प्रत्येक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में: मिथाइलकोबालामिन आईपी 1500 एमसीजी अल्फा लिपोइक एसिड यूएसपी 100 मिलीग्राम इनोसिटोल यूएसपी एनएफ 100 मिलीग्राम फोलिक एसिड आईपी 1.5 मिलीग्राम क्रोमियम पॉलीनिकोटिनेट 200 एमसीजी सेलेनियम डाइऑक्साइड यूएसपी 55 एमसीजी बेन्फोटायमीन 150 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	मैसर्स ओलिव हेल्थकेयर / मेसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	18.56
8	इट्राकोनाजोल कैप्सूल (सुप्रा-बायोउपलब्ध फॉर्म्युलेशन)	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल हैं: इट्राकोनाजोल बीपी 65 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	मैसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स ईप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड	11.60
9	इट्राकोनाजोल कैप्सूल (सुप्रा-बायोउपलब्ध फॉर्म्युलेशन)	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में शामिल हैं: इट्राकोनाजोल बीपी 130 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	मैसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स ईप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड	20.72
10	रोसुवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में: रोसुवास्टेटिन कैल्शियम आईपी रोसुवास्टेटिन 10 मिलीग्राम (फिल्म कोटेड गोली) के बराबर एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (गैस्ट्रो-रेसिस्टेंट गोली) क्लोपिडोग्रेल बिसल्फेट क्लोपिडोग्रेल आईपी 75 मिलीग्राम (फिल्म लेपित गोली) के	1 कैप्सूल	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	14.48

क्रं. सं.	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		बराबर			
11	रोसुवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में: रोसुवास्टेटिन कैल्शियम आईपी रोसुवास्टेटिन 20 मिलीग्राम (फिल्म कोटेड गोली) के बराबर एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (गैस्ट्रो-रेसिस्टेंट गोली) क्लोपिडोग्रेल बिसल्फेट क्लोपिडोग्रेल आईपी 75 मिलीग्राम (फिल्म लेपित गोली) के बराबर	1 कैप्सूल	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	20.69
12	फेरस एस्कॉर्बेट, फोलिक एसिड और मिथाइलकोबालामिन सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मि.ली. में शामिल हैं: फेरस एस्कॉर्बेट आईपी एलिमेंटल आयरन 30 मिलीग्राम के बराबर फोलिक एसिड आईपी 500 मिलीग्राम मिथाइलकोबालामिन आईपी 500 एमसीजी	1 मि.ली.	मेसर्स अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स सिप्ला लिमिटेड	0.92
13	डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड लिपोसोमल इंजेक्शन (पेगीलेटेड लिपोसोमल)	प्रत्येक एमएल में शामिल हैं: डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड (पेगीलेटेड लिपोसोमल के रूप में) आईपी 2 मिलीग्राम वाटर फोर इंजेक्शन	1 मि.ली.	मैसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड	452.45
14	डिक्लोफेनाक सोडियम और डाईसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन	प्रत्येक मि.ली. में: डिक्लोफेनाक सोडियम आईपी 50 मिलीग्राम डायसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 20 मिलीग्राम बेंज़ालकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन आईपी 0.05% डब्ल्यू / वी वाटर फोर इंजेक्शन आईपी क्यू. एस	1 मि.ली.	मैसर्स निकेफार्म लाइफसाइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स सीगल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	31.08
15	पेरासिटामोल और मेफेनैमिक एसिड सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मि.ली. में: पेरासिटामोल आईपी 250 मिलीग्राम मेफेनैमिक एसिड आईपी 100 मिलीग्राम	1 मि.ली.	मेसर्स प्रॉस्पेरिटी ड्रग्स प्रा. लिमिटेड / मैसर्स टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	0.75
16	पेरासिटामोल और मेफेनैमिक एसिड सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मि.ली. में: पेरासिटामोल आईपी 125 मिलीग्राम	1 मि.ली.	मेसर्स प्रॉस्पेरिटी ड्रग्स प्रा. लिमिटेड / मैसर्स टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	0.65

क्रं. सं.	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		मेफेनैमिक एसिड आईपी 50 मिलीग्राम			
17	सेफिक्सिम और पोटैशियम क्लैवुलैनेट गोली आईपी	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: सेफिक्सिम ट्राइहाइड्रेट सेफिक्सिम एनहाइड्रस आईपी 200 मिलीग्राम के बराबर पोटेशियम क्लावुलनेट डिलूटेड क्लैवुलानिक एसिड आईपी 125 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स आल्प्स कम्युनिकेशंस प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एरिस्टो लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड	24.00
18	डिक्लोफेनाक सोडियम और पेरासिटामोल गोलियाँ	प्रत्येक अनकोटेड गोली में: डिक्लोफेनाक सोडियम आईपी 50 मिलीग्राम, पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	4.20

नोट :

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई तालिका के स्तभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(ड.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती है।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

(छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की स्ट्रेंथ और नाम के साथ, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूप, कॉलम (2), (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए हो, तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[पीएन/240/108/2023/एफ/फा.न.8(108)/2023/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, 2nd February, 2023

S.O. 483(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rosuvastatin and Clopidogrel Capsule	Each Hard gelatin capsule contains: Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 20mg (As Pellets) Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75mg (As Pellets)	1 Capsule	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Zydus Healthcare Limited	19.04
2	Domperidone and Naproxen Sodium Tablets	Each film coated tablet contains: Domperidone Maleate IP eq. to Domperidone 10mg Naproxen Sodium USP 550mg eq. to Naproxen 500mg	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	6.99
3	Domperidone and Naproxen Sodium Tablets	Each film coated tablet contains: Domperidone Maleate IP eq. to Domperidone 10mg Naproxen Sodium USP 275mg eq. to Naproxen 250mg	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	5.39
4	Rosuvastatin, Clopidogrel & Aspirin Capsule	Each Hard gelatin capsule cotains: Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 10mg Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75mg Aspirin IP 75mg	1 Capsule	M/s Windlas Biotech Limited. / M/s Modi-Mundipharma Pvt. Ltd.	14.48
5	Calcium, Phosphorus, Magnesium, Zinc & Vitamin D3 Suspension	Each 10ml contains: Calcium Phosphate IP eq. to Elemental Calcium 300mg eq. to Elemental Phosphorus 150mg Magnesium Hydroxide IP eq. to Elemental Magnesium 75mg Zinc Gluconate USP eq. to Elemntal Zinc 4mg Vitamin D3 IP 200IU	1 ml	M/s Pharma Force Lab. / M/s Mankind Pharma Ltd.	0.68
6	Phenylephrine Hydrochloride, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Sodium Citrate &	Each 5ml contains: Phenylephrine Hydrochloride IP 5mg Chlorpheniramine Maleate IP 0.5mg Paracetamol IP 125mg	1 ml	M/s Bioconic Remedies / M/s Dales Laboratories Pvt. Ltd.	0.87

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Menthol Suspension	Sodium Citrate IP 60mg Menthol IP 1mg			
7	Methylcobalamin, Alpha Lipoic Acid, Inositol, Folic Acid, Chromium Polynicotinate, Selenium Dioxide & Benfotiamine Capsule	Each soft Gelatin Capsule contains: Methylcobalamin IP 1500mcg Alpha Lipoic Acid USP 100mg Inositol USP NF 100mg Folic Acid IP 1.5mg Chromium Polynicotinate 200mcg Selenium Dioxide USP 55mcg Benfotiamine 150mg	1 Capsule	M/s Olive Healthcare / M/s Intas Pharmaceuticals Limited	18.56
8	Itraconazole Cpasule (Supra-Bioavailable Formulation)	Each hard gelatin capsule contains: Itraconazole BP 65mg	1 Capsule	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s IPCA Laboratories Limited	11.60
9	Itraconazole Cpasule (Supra-Bioavailable Formulation)	Each hard gelatin capsule contains: Itraconazole BP 130mg	1 Capsule	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s IPCA Laboratories Limited	20.72
10	Rosuvastatin, Aspirin and Clopidogrel Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 10mg (as film coated tablet) Aspirin IP 75mg (As Gastro-resistant tablet) Clopidogrel Bisulphate eq. to Clopidogrel IP 75 mg (as film coated tablet)	1 Capsule	M/s Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	14.48
11	Rosuvastatin, Aspirin and Clopidogrel Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 20mg (as film coated tablet) Aspirin IP 75mg (As Gastro-resistant tablet) Clopidogrel Bisulphate eq. to Clopidogrel IP 75 mg (as film coated tablet)	1 Capsule	M/s Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.	20.69
12	Ferrous Ascorbate, Folic Acid & Methylcobalamin Suspension	Each 5ml contains: Ferrous Ascorbate IP eq. to Elemental Iron 30mg Folic Acid IP 500mg Methyl cobalamin IP 500mcg	1 ml	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Cipla Limited	0.92
13	Doxorubicin Hydrochloride Liposomal Injection (Pegylated liposomal)	Each ml Contains: Doxorubicin Hydrochloride (as pegylated liposomal) IP 2mg water for injection	1 ml	M/s Samarth Life Sciences Pvt. Ltd.	452.45
14	Diclofenac Sodium & Dicyclomine Hydrochloride Injection	Each ml contains: Diclofenac Sodium IP 50mg Dicyclomine Hydrochloride IP 20mg Benzalkonium Chloride Solution IP 0.05% w/v Water for Injections IP q. s.	1 ml	M/s Nichepharm Lifesciences Pvt. Ltd. / M/s Seagull Pharmaceuticals Pvt, Ltd.	31.08
15	Paracetamol &	Each 5ml contains:	1 ml	M/s Prosperity Drugs	0.75

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mefenamic Acid Suspension	Paracetamol IP 250mg Mefenamic Acid IP 100mg		Pvt. Ltd. / M/s Torrent Pharmaceuticals Limited	
16	Paracetamol & Mefenamic Acid Suspension	Each 5ml contains: Paracetamol IP 125mg Mefenamic Acid IP 50mg	1 ml	M/s Prosperity Drugs Pvt. Ltd. / M/s Torrent Pharmaceuticals Limited	0.65
17	Cefixime and Potassium Clavulanate Tablets IP	Each film coated tablet contains: Cefixime Trihydrate eq. to Cefixime Anhydrous IP 200mg Potassium Clavulanate Diluted eq. to Clavulanic Acid IP 125mg	1 Tablet	M/s Alps Communications Pvt. Ltd. / M/s Aristo Laboratories Pvt. Ltd.	24.00
18	Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets	Each uncoated tablet contains: Diclofenac Sodium IP 50mg, Paracetamol IP 325mg	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Emcure Pharmaceuticals Ltd.	4.20

Note:

(a) The manufacturer of above-mentioned formulations i.e., "new drug" under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.

(b) The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.

(c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.

(f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

(g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/240/108/2023/F /F. No. 8(108)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 484(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश,

2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का. आ. 1499(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी के विनिर्मिति पैक से है, उन बातों क सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क्रम.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ओमेप्राज़ोल	कैप्सूल 20 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	2.56
2	कोल्सीसिन	गोली 0.5 मिलीग्राम	1 गोली	2.91
3	एमोक्सिसिलिन	कैप्सूल 500 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	6.56
4	डेक्सामेथासोन	गोली 0.5 मिलीग्राम	1 गोली	0.20
5	प्रेडनिसोलोन	गोली 10 मिलीग्राम	1 गोली	1.07
6	प्रेडनिसोलोन	गोली 5 मिलीग्राम	1 गोली	0.61
7	एज़िथ्रोमाइसिन	गोली 250 मिलीग्राम	1 गोली	10.39
8	एज़िथ्रोमाइसिन	गोली 500 मिलीग्राम	1 गोली	21.02
9	प्रेडनिसोलोन	गोली 20 मिलीग्राम	1 गोली	2.14
10	डॉक्सीसाइक्लिन	कैप्सूल 100 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	2.75
11	पेरासिटामोल	गोली 500 मिलीग्राम	1 गोली	0.80
12	सोडियम वैल्प्रोएट	ओरल लिक्विड 200 मिलीग्राम/5 मि.ली. (पी)	1 मि.ली.	0.58
13	कॉलेकैल्सिफेरॉल	सॉलिड ओरल डोज़ फॉर्म 60000 आईयू गोली	1 गोली	20.07
14	जिफिटिनिब	गोली 250 मिलीग्राम	1 गोली	211.49
15	मायकोफेनोलेट मोफेटिल	गोली 250 मिलीग्राम	1 गोली	44.24
16	सेफ्टाज़िडाइम	पाउडर फोर इंजेक्शन 250 मिलीग्राम	1 वाईल	70.52
17	जाइलोमेटाज़ोलिन	नेजल ड्रोप 0.05 %	1 मि.ली.	3.74
18	जाइलोमेटाज़ोलिन	नेजल ड्रोप 0.1%	1 मि.ली.	4.57
19	बिसकॉडल	सपोसिटरी 5 मिलीग्राम	1 सपोसिटरी	8.90
20	लेवेटिरासेटम	इंजेक्शन 100 मिलीग्राम/ मि.ली.	1 मि.ली.	20.53
21	ओंडान्सेट्रॉन	इंजेक्शन 2 मिलीग्राम/मि.ली.	1 मि.ली.	5.32
22	पेरासिटामोल	सपोसिटरी 80 मिलीग्राम	1 सपोसिटरी	5.94
23	पेरासिटामोल	सपोसिटरी 170 मिलीग्राम	1 सपोसिटरी	7.09
24	मिथाइलर्जोमेट्रिन	इंजेक्शन 0.2 मिलीग्राम/मि.ली.	1 मि.ली.	13.33
25	साइटोसिनएराबिनो साइड	इंजेक्शन 100 मिलीग्राम / वाईल	1 वाईल	124.49

क्रम.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
26	साइटोसिनएराबिनोसाइड	इंजेक्शन 500 मिलीग्राम/ वाईल	1 वाईल	478.32
27	केटामाइन	इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/मि.ली.	1 मि.ली.	10.81
28	विन्क्रिस्टाईन	इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/मि.ली.	1 मि.ली.	51.30
29	ट्रामाडोल	इंजेक्शन 50 मिलीग्राम/मि.ली. (अप टू 2 मि.ली. पैक)	1 मि.ली.	10.51
30	ऑक्सीटोसिन	इंजेक्शन 5 आईयू/मि.ली.	1 मि.ली.	15.91
31	एज़िथ्रोमाइसिन	ओरल लिक्विड 200 मिलीग्राम/5 मि.ली. (पी)	1 मि.ली.	3.04
32	सेटीरिज़िन	ओरल लिक्विड 5 मिलीग्राम/5 मि.ली.(पी)	1 मि.ली.	0.59
33	एमोक्सिसिलिन (ए) + क्लैवुलानिक एसिड (बी)	ओरल लिक्विड 200 मिलीग्राम (ए) + 28.5 मिलीग्राम (बी)/5 मि.ली.(पी)	1 मि.ली.	1.80
34	सेफिक्सिम	ओरल लिक्विड 50 मिलीग्राम/5 मि.ली. (पी)	1 मि.ली.	1.45
35	सेफिक्सिम	ओरल लिक्विड 100 मिलीग्राम/5मि.ली.(पी)	1 मि.ली.	2.13
36	रिट्क्सिमैब	इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/मि.ली.	1 मि.ली.	679.41
37	सोडियम बाइकार्बोनेट	इंजेक्शन (एज पर आईपी) - 8.4%	1 मि.ली.	1.20
38	प्राइमाक्वीन	गोली 15 मिलीग्राम	1 गोली	4.58
39	रिटोनवीर	गोली 100 मिलीग्राम	1 गोली	26.05
40	कार्बमेज़पाइन	गोली 100 मिलीग्राम	1 गोली	0.95
41	आइबुप्रोफ़ेन	ओरल लिक्विड 100 मिलीग्राम / 5 मि.ली.(पी)	1 मि.ली.	0.20
42	ज़िडोवुडाइन (ए) + लेमिवुडाइन (बी) + नेविरापीन (सी)	गोली 300 मिलीग्राम (ए) + 150 मिलीग्राम (बी) + 200 मिलीग्राम (सी)	1 गोली	18.85
43	स्पैरोनोलाक्टोंन	गोली 25 मिलीग्राम	1 गोली	1.95
44	फ़्यूरोसेमाइड	गोली 40 मिलीग्राम	1 गोली	0.81
45	वेरापामिल	गोली 80 मिलीग्राम	1 गोली	1.42
46	वेरापामिल	गोली 40 मिलीग्राम	1 गोली	0.77
47	नैटामाइसिन	ड्रोप 5%	1 मि.ली.	20.85
48	होमेट्रोपिन	ड्रोप 2%	1 मि.ली.	5.71
49	कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज	ड्रोप 0.5%	1 मि.ली.	10.97
50	कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज	ड्रोप 1%	1 मि.ली.	14.79
51	सैल्बुटामोल	इनहेलेशन (एमडीआई/डीपीआई*) 100 एमसीजी / डोज	1 एमडीआई	0.44

क्रम.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
52	सैल्बुटामोल	रेस्पिरेटर सॉल्यूशन (सॉल्यूशन फोर नेब्युलाइज़र 5 मिलीग्राम / मि.ली.)	1 मि.ली.	0.61
53	पाइरिडोक्सिन	गोली 100 मिलीग्राम	1 गोली	5.33

नोट :

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एव सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितयों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म–V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म–I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।

(छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करन का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[कां.सं./240/108/2023/एफ/फा. सं. 8(108)/2023/डीपी/एनपीपीए–डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 484(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No SO 1499(E) dated 30th March, 2022 in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Omeprazole	Capsule 20 mg	1 Capsule	2.56
2	Colchicine	Tablet 0.5mg	1 Tablet	2.91
3	Amoxicillin	Capsule 500mg	1 Capsule	6.56
4	Dexamethasone	Tablet 0.5mg	1 Tablet	0.20
5	Prednisolone	Tablet 10mg	1 Tablet	1.07
6	Prednisolone	Tablet 5mg	1 Tablet	0.61
7	Azithromycin	Tablet 250mg	1 Tablet	10.39
8	Azithromycin	Tablet 500mg	1 Tablet	21.02
9	Prednisolone	Tablet 20mg	1 Tablet	2.14
10	Doxycycline	Capsule 100mg	1 Capsule	2.75
11	Paracetamol	Tablet 500mg	1 Tablet	0.80
12	Sodium Valproate	Oral liquid 200mg/5mL(p)	1 ML	0.58
13	Cholecalciferol	Solid oral dosage form 60000 IU Tablets	1 Tablet	20.07
14	Gefitinib	Tablet 250mg	1 Tablet	211.49
15	Mycophenolate mofetil	Tablet 250mg	1 Tablet	44.24
16	Ceftazidime	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	70.52
17	Xylometazoline	Nasal drops 0.05 %	1 ML	3.74
18	Xylometazoline	Nasal drops 0.1%	1 ML	4.57
19	Bisacodyl	Suppository 5mg	1 Suppository	8.90
20	Levetiracetam	Injection 100mg/mL	1 ML	20.53
21	Ondansetron	Injection 2mg/mL	1 ML	5.32
22	Paracetamol	Suppository 80mg	1 Suppository	5.94
23	Paracetamol	Suppository 170mg	1 Suppository	7.09
24	Methylergometrine	Injection 0.2mg/mL	1 ML	13.33
25	Cytosinearabinoside	Injection 100mg/vial	1 Vial	124.49
26	Cytosinearabinoside	Injection 500mg/vial	1 Vial	478.32

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
27	Ketamine	Injection 50mg/mL	1 ML	10.81
28	Vincristine	Injection 1mg/mL	1 ML	51.30
29	Tramadol	Injection 50mg/mL (upto 2ml pack)	1 ML	10.51
30	Oxytocin	Injection 5 IU/mL	1 ML	15.91
31	Azithromycin	Oral liquid 200 mg/5 mL (p)	1 ML	3.04
32	Cetirizine	Oral liquid 5mg/5mL(p)	1 ML	0.59
33	Amoxicillin (A) +Clavulanic acid (B)	Oral liquid 200 mg (A) + 28.5mg(B)/5 mL(p)	1 ML	1.80
34	Cefixime	Oral liquid 50 mg/5 mL (p)	1 ML	1.45
35	Cefixime	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	2.13
36	Rituximab	Injection 10mg/mL	1 ML	679.41
37	Sodium bicarbonate	Injection (as per IP) - 8.4%	1 ML	1.20
38	Primaquine	Tablet 15mg	1 Tablet	4.58
39	Ritonavir	Tablet 100mg	1 Tablet	26.05
40	Carbamazepine	Tablet 100mg	1 Tablet	0.95
41	Ibuprofen	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	0.20
42	Zidovudine (A) +Lamivudine (B) +Nevirapine(C)	Tablet 300mg(A)+150mg(B)+200mg (c)	1 Tablet	18.85
43	Spironolactone	Tablet 25mg	1 Tablet	1.95
44	Furosemide	Tablet 40mg	1 Tablet	0.81
45	Verapamil	Tablet 80 mg	1 Tablet	1.42
46	Verapamil	Tablet 40mg	1 Tablet	0.77
47	Natamycin	Drops 5%	1 ML	20.85
48	Homatropine	Drops 2%	1 ML	5.71
49	Carboxymethyl cellulose	Drops 0.5%	1 ML	10.97
50	Carboxymethylcellulose	Drops 1%	1 ML	14.79
51	Salbutamol	Inhalation (MDI/DPI*) 100mcg/dose	1 MDI	0.44
52	Salbutamol	Respirator Solution (Solution for Nebulizer 5mg/mL)	1 ML	0.61
53	Pyridoxine	Tablet 100 mg	1 Tablet	5.33

Note :

(a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.

(b) All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V

from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/240/108/2023/F/F. No. 8(108)/2023/D.P./NPPA/Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 485(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फ्लुकोनाज़ोल	गोली 50 मिलीग्राम	1 गोली	8.63

नोट :

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितयों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉम–V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची–II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म–I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।

(छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करन का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट एसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[कां.सं./240/108/2023/एफ/फा. सं. 8(108)/2023/डीपी/एनपीपीए–डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 485(E) .—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fluconazole	Tablet 50mg	1 Tablet	8.63

Note :

(a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.

(b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/240/108/2023/F/F. No. 8(108)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 486(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का. आ. 1504(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी 'क' के विनिर्मिति पैक से है, निर्दिष्ट उत्पादों और पैक-आकारों के लिए सारणी 'ख' में निर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित, **उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते**

हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी 'क' के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी 'क' के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, सारणी 'ख' में निर्दिष्ट निर्माताओं के लिए।

सारणी 'क'

क्र. सं.	दवाइयां	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मेट्रोनिडाजोल	यूरो हेड के साथ प्लास्टिक बोतल में गैरग्लास - कंटेनर में पैकेज के लिए100मिली पैक में इंजेक्शन)0.5%डब्लूवी/)/ 500 मिलीग्राम/ 100मिली विशेष विशेषताएं हैं	प्रति मि.ली.	0.22

सारणी 'ख'

क्र. सं.	निर्माताओं का नाम
(1)	(2)
1.	मैसर्स ओत्सुका फार्मास्युटिकल इंडिया प्रा .लिमिटेड
2.	मैसर्स डेनिस केम लेब प्रा०लिमिटेड
3.	मैसर्स रूसोमा लेबोरेटरीज प्रा०लिमिटेड

नोटः.

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों, यदि कोई है) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के उपरोक्त उत्पाद/ब्रांड का बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी क स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों, यदि कोई है, से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर विनिर्माताओं ने उपयुक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यदि यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते है।

(घ) कोई अन्य विनिर्माता जो विशेष सुविधाओं वाले पैकेजों में मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन यूरो हेड के साथ प्लास्टिक बोतल में गैर-ग्लास कंटेनर में पैकेज के लिए 100 मिली पैक में इंजेक्शन (0.5%डब्लू/वी)/500 मिलीग्राम/100मिली विशेष विशेषताएं हैं, के लिए अलग अधिकतम मूल्य का दावा करता है तो वह अलग अधिकतम मूल्य अनुमोदन के लिए एनपीपीए को आवेदन करेगा।

(ड.) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। विनिर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करेगा तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरक को जारी करेगा।

(च) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(छ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (यू) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

(ज) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना से एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है, तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(झ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और नोट का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डोपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ञ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश, यदि कोई हो, जो इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./240/108/2023/एफ/फा. सं. 8(108)/2023/डीपी/एनपीपीए.–डिवी–II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 486(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No SO 1504(E) dated 30th March, 2022 in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table A below, manufactured by the manufacturers specified in Table B for specified products and pack-sizes, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table A herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table A with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof for manufacturers specified in Table B.

TABLE A

Sl. No.	Medicines	Dosage form and Strength	Unit	Ceiling price
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Metronidazole	Injection (0.5%w/v) / 500mg/100ml in 100ml pack for packages in non-glass container in plastic bottle with euro head having special features	Per ml	0.22

TABLE 'B'

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
1	M/s Otsuka Pharmaceutical India Private Ltd.
2	M/s Denis Chem Lab Ltd.
3	M/s Rusoma Laboratories Pvt. Ltd.

(a) The manufacturers of scheduled formulations, selling abovesaid products/brandname of scheduled formulations at price higher than the ceiling price (plus goods and services tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any.

(b) The existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(d) Any other manufacturer claiming separate ceiling price for Metronidazole Injection (0.5%w/v) / 500mg/100ml in 100ml pack for packages in non-glass container in plastic bottle with euro head having special features shall apply to NPPA for separate ceiling price approval.

(e) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(f) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(g) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(h) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(i) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(j) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/240/108/2023/F/ F. No. 8(108)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 487(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का. आ. 1505(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी 'क' के विनिर्मिति पैक से है, निर्दिष्ट उत्पादों और पैक-आकारों के लिए **सारणी** 'ख' में निर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित, **उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी 'क' के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी 'क' के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, सारणी** 'ख' में निर्दिष्ट निर्माताओं के लिए।

सारणी 'क'

क्र.सं.	दवाइयां	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मेंनीटोल	यूरो हेड के साथ प्लास्टिक बोतल में गैरग्लास - कंटेनर में पैकेज के लिए100मिली पैक में इंजेक्शन 20% की विशेष विशेषताएं हैं	प्रति मि.ली.	0.36

सारणी 'ख'

क्र.सं.	निर्माताओं का नाम
(1)	(2)
1.	मैसर्स ओत्सुका फार्मास्युटिकल इंडिया प्रालिमिटेड.
2.	मैसर्स डेनिस केम लेब प्रा०लिमिटेड
3.	मैसर्स रूसोमा लेबोरेटरीज प्रा०लिमिटेड

नोटः.

(क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों, यदि कोई है) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के उपरोक्त उत्पाद/ब्रांड का बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों, यदि कोई है, से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।

(ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।

(ग) अगर विनिर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यदि यह देय है तो वे वस्त, एवं सेवा कर को जोड़ सकते है।

(घ) कोई अन्य विनिर्माता जो विशेष सुविधाओं वाले पैकेजों में मेंनीटोल यूरो हेड के साथ प्लास्टिक बोतल में गैरग्लास - कंटेनर में पैकेज के लिए100मिली पैक में इंजेक्शन 20% की विशेष विशेषताएं है, के लिए अलग अधिकतम मूल्य का दावा करता है तो वह अलग अधिकतम मूल्य अनुमोदन के लिए एनपीपीए को आवेदन करेगा।

(ड.) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। विनिर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करेगा तथा उसकी कॉपी राज्य आषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरक को जारी करेगा।

(च) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(छ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीक और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (यू) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए मं मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।

(ज) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना से एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है, तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(झ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और नोट का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ञ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश, यदि कोई हो, जो इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./240/108/2023/एफ/फा. सं0 8(108)/2023/डीपी/एनपीपीए.–डिवी–II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 487(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No SO 1505(E) dated 30th March, 2022 in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table A below, manufactured by the manufacturers specified in Table B for specified products and pack-sizes, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table A herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table A with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof for manufacturers specified in Table B.

TABLE A

Sl. No.	Medicines	Dosage form and Strength	Unit	Ceiling price
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mannitol	Injection 20% in 100 ml pack for packages in non-glass container in plastic bottle with euro head having special features	Per ml	0.36

TABLE 'B'

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
1	M/s Otsuka Pharmaceutical India Private Ltd.
2	M/s Denis Chem Lab Ltd.
3	M/s Rusoma Laboratories Pvt. Ltd.

(a) The manufacturers of scheduled formulations, selling abovesaid products / brand name of scheduled formulations at price higher than the ceiling price (plus goods and services tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any.

(b) The existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.

(c) The manufacturers may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

(d) Any other manufacturer claiming separate ceiling price for Mannitol Injection 20% in 100 ml pack for packages in non-glass container in plastic bottle with euro head having special features shall apply to NPPA for separate ceiling price approval.

(e) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(f) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(g) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (1) (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(h) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish

information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(i) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(j) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/240/108/2023/F /F. No. 8(108)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.02.02 22:46:17 +05'30'